डॉक्टरों द्वारा तोहफे लेने पर रोक

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल नामक प्रतिष्ठित चिकित्सा शोध पत्रिका ने खबर दी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने ऐसे नए नियम घोषित किए हैं जिनके ज़रिए डॉक्टरों द्वारा दवा कंपनियों से तोहफे स्वीकार करने या कार्यक्रम प्रायोजित करवाने पर रोक लग सकेगी। इसे दवा कंपनियों के प्रचार-प्रसार के अनैतिक तौर-तरीकों पर रोक लगाने का प्रयास माना जा रहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद देश में डॉक्टरों को लायसेंस देने वाली नियामक संस्था है। परिषद द्वारा जारी आचार संहिता के तहत डॉक्टर दवा कंपनियों अथवा उनके प्रतिनिधियों से तोहफे नहीं ले सकेंगे और न ही कोई भुगतान, यात्रा के लिए सहयोग, या आतिथ्य स्वीकार कर सकेंगे।

डॉक्टरों के व्यावसायिक कामकाज व आचरण सम्बंधी नियमों में नवीन संशोधनों में परिषद ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर किसी दवा कंपनी या स्वास्थ्य क्षेत्र की किसी भी अन्य कंपनी से किसी भी उद्देश्य से कोई धनलाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसमें यह छूट दी गई है कि डॉक्टर्स शोध कार्य के लिए दवा उद्योग से अनुदान ले सकेंगे, बशर्ते कि वे धन के स्रोत का पूरा खुलासा करें।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अस्पताल के नभजीत रॉय, जो *इण्डियन जरनल ऑफ मेडिकल एथिक्स* के संपादकीय मंडल के सदस्य भी हैं, ने कहा है कि यह सही दिशा में एक कदम है। उनके मुताबिक परिषद को यही करना चाहिए। रॉय द्वारा तीन साल पहले किए गए एक अध्ययन से संकेत मिला था कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को तमाम किस्म के तोहफे देती रहती हैं। इनमें ज़ेवरात से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कार तक होते हैं।

एक प्रतिष्ठित व स्वतंत्र औषधि पत्रिका *मंथली इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़* ने पिछले साल दवा निर्माताओं के ऑडिटेड अकाउंट्स के विश्लेषण के आधार पर गणना की थी कि भारत की टॉप 50 दवा कंपनियां अपने 53.4 अरब रुपए के वार्षिक कारोबार में से 19 प्रतिशत प्रचार-

प्रसार पर खर्च करती हैं। *मंथली इन्डेक्स* के एक हालिया संपादकीय में उदाहरणों के साथ बताया गया है कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को सिंगापुर, थाईलैण्ड और तुर्की भेजती हैं छुट्टियां मनाने।

वैसे तो भारतीय दवा निर्माता महासंघ ने पिछले वर्ष विपणन संहिता का एक मसौदा जारी किया था मगर उद्योग व चिकित्सा व्यवसाय के कई लोगों की मांग थी कि इसके लिए कोई वैधानिक संहिता होनी चाहिए जिसमें दंड का भी प्रावधान हो।

अब चिकित्सा परिषद द्वारा इस तरह के संशोधन कर दिए जाने के बाद शंका यह है कि कंपनियां इनसे बचने के अनोखे तरीके खोज निकालेंगी। इसके लिए एक सुझाव यह है कि यह अनिवार्य कर दिया जाए कि कंपनियां अपने वित्तीय पत्रकों में विपणन का खर्च स्पष्ट रूप से दर्शाएं।

आने वाला समय ही बताएगा कि नए नियमों का कितना असर होता है। मसलन, भारतीय शिशु चिकित्सक अकादमी की नवी मुंबई शाखा के अध्यक्ष डॉ. उपेंद्र किंजवाडेकर कहते हैं, "संभवतः अब चिकित्सा विमर्श पांच सितारा होटलों की बजाय मेडिकल कॉलेजों में होने लगेगा।" ***(स्रोत फीचर्स)***